<u>**2025 का विधेयक संख्यांक 101**</u>

[दि मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का हिन्दी अनुवाद]

मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का और सशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) धारा 34 और धारा 36, 30 अक्तूबर, 2024 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी;

(ख) धारा 2 से धारा 5, धारा 7 से धारा 30, धारा 32, धारा 33 और धारा 35, 1 नवंबर, 2024 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ; और

(ग) धारा 37, 9 जून, 2025 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

धारा 9 का संशोधन ।

2017 का मणिपुर अधिनियम सं० 3

2. मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) में, "मानव उपभोग के लिए अल्कोहाली लिकर" शब्दों के पश्चात् "और मानव उपभोग के लिए, अल्कोहाली लिकर के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अविकृतिकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 11क का अंतःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहीत न किया गया या कम उद्ग्रहीत किया गया माल और सेवा कर को वसूल न करने की शक्ति ।

"11क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) कोई पद्धति माल या सेवा या दोनों की किसी आपूर्ति पर राज्य कर (जिसके अंतर्गत उसका गैर-उद्ग्रहण भी है) के उद्ग्रहण के संबंध में सामान्य रूप से विद्यमान थी या है; और

(ख) ऐसी आपूर्तियां निम्नलिखित के लिए दायी थीं या हैं—

(i) ऐसे मामलों में जहां उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उदग्रहित नहीं किया गया था या नहीं किया जा रहा है, वहां राज्य कर; या

(ii) ऐसे राज्य कर से अधिक रकम जो उक्त पद्धति के अनुसार, उद्गृहित की जा रही थी या उद्गृहित की जा रही है,

सरकार, परिषद की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी आपूर्तियों पर संदेय सम्पूर्ण राज्य कर, या ऐसी आपूर्तियों पर संदेय कर के आधिक्य में राज्य कर, किन्तु उक्त पद्धति के अभाव में, उन आपूर्तियों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन पर उक्त पद्धति के अनुसार राज्य कर उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा है, या कम उद्गृहीत किया जा रहा था या कम उद्गृहीत किया जा रहा है।"।

धारा 13 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ख) में, "प्रदायकर्ता द्वारा:" शब्दों के स्थान पर, "प्रदायकर्ता द्वारा, ऐसे मामलों में जहां प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, या" शब्द रखे जाएंगे:

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) ऐसे मामलों में जहां बीजक प्राप्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाना है जहां प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख :"

(iii) पहले परंतुक में, "या खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात् "या खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019, वित्तीय वर्ष 2019-2020 और वित्तीय वर्ष 2020-2021 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 के अधीन किसी भी ऐसी विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो नवंबर, तीस 2021 तक फाइल की जाती है।

(6) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 के अधीन रद्द कर दिया जाता है और तत्पश्चात् रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण किसी भी आदेश द्वारा, या तो धारा 30 के अधीन या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी आदेश के अनुसरण में रद्द कर दिया जाता है और जहां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (4) के अधीन बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाना निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति धारा 39 के अधीन विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,—

(i) उस वित्तीय वर्ष के जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है उसके पश्चात् 30 नवंबर तक फाइल किया गया हो या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की गई हो, जो भी पहले हो, या

(ii) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए, जहां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसी विवरणी फाइल की जाती है,

जो भी पश्चातवर्ती है।"।

धारा 17 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खण्ड (i) में, "धारा 74, धारा 129 और धारा 130" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक की किसी अवधि के संबंध में धारा 74" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 30 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का ऐसा प्रतिसंहरण या ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाएं ।"।

धारा 31 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 31 में,—

(क) उपधारा (3) के खंड (च) में, "धारा 9 की उपधारा (3) या धारा (4) के

अधीन" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के पश्चात्, "उस अवधि के भीतर, जो विहित की जाए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, "प्रदायकर्ता जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" पद में वह प्रदायकर्ता सम्मिलित होगा जो एक मात्र रूप से धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है।'।

धारा 35 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, " धारा 74क" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 39 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों के प्रत्येक कलैंडर मास के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौती की गई हो अथवा नहीं ।"।

धारा 49 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) में के खंड (ग) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अथवा धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 50 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में, परंतुक में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अथवा धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 51 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अथवा धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 54 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

(क) उपधारा (3) में, दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (14) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"(15) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, माल की शून्य रेटेड आपूर्ति के मद्दे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय का या माल की शून्य रेटेड आपूर्ति के मद्दे संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां माल की ऐसी शून्य रेटेड आपूर्ति निर्यात शुल्क के अध्यधीन है ।"।

धारा 61 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अथवा धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 62 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अथवा धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 63 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 63 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अथवा धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 64 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अथवा धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 65 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अथवा धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 66 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अथवा धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 70 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए ऐसे सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जैसा कि ऐसा अधिकारी निदेश दे, उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य का कथन करेगा या ऐसे कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज या अन्य चीजे प्रस्तुत करेगा, जिनकी अपेक्षा की जाए ।"।

धारा 73 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 73 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "कर प्रत्यय का अवधारण" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक की अवधि से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे ।";

धारा 74 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 74 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक की अवधि से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण" शब्द और अंक रखें जाएंगे ;

(ख) उपधारा (11) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे ।";

(ग) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 74क का अंत:स्थापन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित किसी कारण से असंदत्त कर का या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण ।

'74क. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है वहां वह उस व्यक्ति पर, जो ऐसे कर से प्रभार्य है, सूचना तामील करेगा, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या जिसका कम संदाय किया गया है या जिसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जिसने गलत ढंग से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे कारण बताने की यह अपेक्षा की जाती है कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय क्यों न करे ।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से बयालीस मास के भीतर नोटिस जारी करेगा, जिससे असंदत्त कर या कम संदत्त कर या गलत ढंग से लिया गया या उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय संबंधित है या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर नोटिस जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर, एक विवरण तामील कर सकेगा, जिसमें उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली अवधि से भिन्न ऐसी अवधि के लिए असंदत्त कर या कम संदत्त कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत ढंग से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का ब्यौरा होगा ।

(4) ऐसे कथन की तामील उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर नोटिस की तामील इस शर्त के अधीन रहते हुए समझी जाएगी कि उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली कर अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों भरोसा किए गए आधारों पर, वही हैं जो पूर्वतर नोटिस में उल्लिखित हैं ।

(5) उस दशा में शास्ति जहां कोई ऐसा कर जिसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलत ढंग से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है,—

(i) कपट या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से भिन्न किसी भी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, के बराबर होगी ;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने के कारण किया गया ऐसे व्यक्ति से देय कर के बराबर होगी ।

(6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना के जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा :

परंतु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो समुचित अधिकारी की रैंक से ज्येष्ठ रैंक में है, किंतु संयुक्त आयुक्त राज्य कर की पंक्ति से नीचे का हो, वहां उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में हुए विलंब के कारणों को, जो लेखबद्ध किए जाएं, ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त अवधि को अधिकतम और छह मास तक बढ़ा सकेगा ।

(8) से प्रभार्य व्यक्ति कर, जहां कोई कर असंदत्त रहा है या कम संदत्त किया गया है या जिसका त्रुटिवश प्रतिदाय कर दिया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय का कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से, गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है,—

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर के अपने स्वयं के अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किए गए कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित में सूचना समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त ऐसे कर या देय किसी शास्ति की बाबत, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तमील नहीं करेगा या उपधारा (3) के अधीन कोई कथन नहीं करेगा ;

(ii) कारण बताओ सूचना जारी होने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएगी ।

(9) जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय कर अपवंचन के लिए कपट या कोई जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों का छिपाए जाने के कारण गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित कर की रकम तथा ऐसे कर के अपने स्वयं के अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किए गए कर

के आधार पर ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त किए गए कर या संदेय किसी शास्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना तामील नहीं करेगा;

(ii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर तथा ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य किसी शास्ति की सूचना जारी होने के साठ दिन के भीतर संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी ;

(iii) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज सहित उक्त कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी ।

(10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तव में संदेय रकम से कम पड़ती है, वहां वह ऐसी रकम की बाबत, जो वास्तव में संदेय रकम से कम पड़ती है उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा ।

(11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन शास्ति संदेय होगी, जहां स्वनिर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संगृहित कोई रकम ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है ।

(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2024-2025 से संबंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "उक्त सूचना की बाबत सभी कार्यवाहियां" पद में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती हैं और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "छिपाना" पद से उन तथ्यों या सूचना की घोषणा न करना अभिप्रेत होगा जिन्हें किसी कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत विवरणी, कथन, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है या समुचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में मांगी जाने पर कोई सूचना प्रस्तुत करने

पर असफलता है ।" ।

धारा 75 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 75 में—

(क) उपधारा (1) में "धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्, " या धारा 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7) " शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि जिस व्यक्ति को सूचना जारी की गई थी, उसके विरुद्ध कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाने के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति संदेय होगी ।";

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(10) यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में या धारा 74क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएगी ।";

(घ) उपधारा (11) में "धारा 74" शब्द और अंकों के पश्चात् "या उपधारा 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) उपधारा 12 में "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(च) उपधारा 13 में "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 104 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में,—

"धारा 74" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

धारा 107 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 107 में—

(क) उपधारा (6) के खंड (ख) में "पच्चीस" शब्द के स्थान पर "बीस" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (11) के दूसरे परंतुक में "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् " या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 112 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 112 में,—

(क) उपधारा (1) में, "ऐसी तारीख से, जिसको ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की वांछा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित

किया जाता है" शब्दों के पश्चात् "या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चात्वर्ती हो ।" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 अगस्त, 2024 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में "उस तारीख से, जिसको आदेश पारित किया गया है" शब्दों के पश्चात् "या उस तारीख से जो सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चात्वर्ती हो", शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और और 1 अगस्त, 2024 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, "उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करने को अनुज्ञात" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(घ) उपधारा (8) के खंड (ख) में,—

(i) "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "पचास करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 122 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) (ख) में, "ऐसा कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक जो"शब्दों के स्थान पर "ऐसा कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण करने का दायी है" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 अक्तूबर, 2023 से रखे गए समझे जाएंगे ;

धारा 127 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 127 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

नई धारा 128क का अंत:स्थापन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति दोनों का अधित्याग ।

"128क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी जहां कोई कर की रकम निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय है वहां,—

(क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी किसी कथन, और जहां धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ; या

(ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन पारित कोई आदेश, और जहां धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित कोई आदेश, और जहां धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

जो 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि या उसके भाग से संबंधित हैं, और उक्त व्यक्ति, यथास्थिति खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट नोटिस या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूर्ण रकम का संदाय उस तारीख को या उससे पूर्व, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, करता है, तो धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा यथास्थिति, उक्त नोटिस या आदेश या कथन के संबध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए, समाप्त हुई समझी जाएंगी:

परंतु जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निदेश के अनुसरण में समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है तो यथास्थिति, उक्त नोटिस या आदेश इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई नोटिस या आदेश समझा जाएगा:

परंतु यह और कि,उन मामलों में, जहां आवेदन धारा 107 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 118 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय कर के अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के विरुद्ध आरंभ की जाती हैं, वहां इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों का समापन इस शर्त के अध्यधीन होगा कि उक्त व्यक्ति, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार उक्त आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि में संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है :

परंतु यह भी कि जहां ऐसे ब्याज और शास्ति का पहले ही संदाय कर दिया गया है वहां उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात त्रुटिवश किए गए प्रतिदाय के मद्दे व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी जहां उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व वापस नहीं ले ली गई है ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी रकम का संदाय कर दिया गया है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी गई हैं वहां, यथास्थिति, धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील

उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी ।"।

धारा 171 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 171 में,—

(क) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कटौती का वास्तविक रूप से परिणाम उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवा या दोनों की कीमत में कटौती के समरूप है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "परीक्षा के लिए अनुरोध" से इस बारे में अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत होगा कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कटौती का वास्तविक रूप से परिणाम उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवा या दोनों की कीमत में कटौती के समरूप है ।' ;

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकारी" पद के अंतर्गत "अपील प्राधिकारी" सम्मिलित होगा ।'।

अनुसूची 3 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"9. मुख्य बीमाकर्ता और सह बीमाकर्ता द्वारा सह बीमा करारों में बीमाकृत व्यक्ति को संयुक्त रूप से प्रदाय की गई बीमा सेवाओं के लिए सह बीमाकर्ता को मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमाकृत व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर तथा एकीकृत कर का संदाय करता है ।

10. पुन: बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा ऐसी सेवाओं जिनके लिए अध्यर्पण कमीशन या पुन: बीमा कमीशन की कटौती इस शर्त के अधीन रहते हुए पुन: बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुन: बीमा प्रीमियम से की जाती है कि पुन: बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदेय सकल पुन: बीमा प्रीमियम पर पुन: बीमाकर्ता द्वारा केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय किया जाता है जिसके अंतर्गत उक्त अध्यर्पण कमीशन या पुन: बीमा कमीशन भी है ।"।

संदत्त कर या प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय न होना ।

36. संदत्त सभी कर या प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जो इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया होता या प्रतिवर्तित नहीं हुआ होता यदि धारा 6 सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती ।

2024 के व्यपगत मणिपुर अध्यादेश 1 के अधीन की गई कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण ।

37. मणिपुर माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 की समाप्ति के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई सदैव इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन इस प्रकार की हुई या की गई समझी जाएगी मानों ऐसे उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे ।

निरसन और व्यापृति ।

38. (1) मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 मणिपुर राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतराज्यिक प्रदाय के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधिनियमन के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबंधों का वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 114 से धारा 150 के माध्यम से संशोधन किया गया था और वैसे ही संशोधन 54वीं माल और सेवा कर परिषद् के विनिश्चय के अनुसार, 1 नवंबर, 2024 से शीघ्र प्रभावी करने के लिए और उक्त केंद्रीय अधिनियम में प्रतिकूलता से बचने के लिए मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए जाने अपेक्षित थे ।

3. चूंकि, मणिपुर विधान सभा सत्र में नहीं थी, इसलिए मणिपुर के राज्यपाल ने 30 अक्तूबर, 2024 को मणिपुर माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 प्राख्यापित किया था ।

4. 13 फरवरी, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा करते हुए एक उद्घोषणा जारी की गई थी कि मणिपुर राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार से या उसके अधीन प्रयोक्तव्य होंगी । इसी बीच, मणिपुर माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024, 29 अप्रैल, 2025 को प्रवर्तन में नहीं रह गया था ।

5. चूंकि, राष्ट्रपति द्वारा जारी उक्त उद्घोषणा तारीख 13 फरवरी, 2025 से मणिपुर राज्य में प्रवृत्त थी तथा संसद् सत्र में नहीं थीं और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी, जिनके कारण केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुरूप मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को जारी रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था । राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025, तारीख 9 जून, 2025 को प्राख्यापित किया था ।

6. संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (2) के उपखंड (क) के अनुसार, मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025, संसद् के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है और उक्त प्रयोजन के लिए मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को संसद् में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

अन्य बातों के साथ, उक्त विधेयक की मुख्य विशेषताएं, निम्नानुसार हैं:—

(i) मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उक्त अधिनियम) की धारा 9 की उपधारा (1) का संशोधन करना, जिससे मानव उपभोग के लिए अल्कोहाली लिकर के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अविकृतिकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट पर राज्य कर उद्ग्रहीत किया जा सके ;

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में पारिणामिक संशोधन करना, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा

सके ;

(iii) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 11क अंत:स्थापित करना, जिससे मणिपुर सरकार को राज्य कर के गैर उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण को वहां नियमित किया जा सके, जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा गैर उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण साधारण पद्धति का परिणाम था ;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) का संशोधन करना, जिससे उन मामलों में जहां प्रतिवर्तित प्रभार प्रदायों में प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, सेवाओं के प्रदाय के समय को विनिर्दिष्ट किया जा सके ;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 16 में एक नई उपधारा (5) अंत:स्थापित करना, जिससे विद्यमान उपधारा (4) का अपवाद किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 के अधीन किसी भी ऐसी विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो 30 नवंबर, 2021 तक फाइल की गई है ;

(vi) एक नई धारा 74क अंत:स्थापित करना, जिससे आगे के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित किसी कारण से असंदत्त कर का या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण का उपबंध किया जा सके तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में पारिणामिक संशोधन किया जा सके ;

(vii) एक नई धारा 128क अंत:स्थापित करना, जिससे कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्याग का उपबंध किया जा सके ;

(viii) व्यपगत मणिपुर माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 के अधीन की गई कार्रवाईयों का विधिमान्यकरण करना ; और

(ix) प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के अधीन की गई कार्रवाईयों की व्यावृत्ति करने के लिए एक उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंत:स्थापित करना ।

7. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
31 जुलाई, 2025

निर्मला सीतारामन

खंडों का टिप्पण

विधेयक का खंड 2, मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उक्त अधिनियम) की धारा 9 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है ताकि मानव उपभोग के लिए अल्कोहॉली लिकर के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अविकृतिकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी अल्कोहॉल या परिशोधित स्प्रिट पर राज्य कर उद्ग्रहीत न किया जा सके।

विधेयक का खंड 3, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क को सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 4, उक्त अधिनियम में नई धारा 11क का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे सरकार को राज्य कर के गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण को नियमित करने के लिए सशक्त किया जा सके, जहां यह समाधान हो जाए कि ऐसा गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण साधारण प्रकृति का परिणाम है।

विधेयक का खंड 5, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के संशोधन के लिए है, जिससे उन मामलों में सेवाओं के प्रदाय के समय को विनिर्दिष्ट किया जा सके, जहां प्रतिवर्तित प्रदाय प्रभार में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करना अपेक्षित है।

ये संशोधन 1 नवम्बर, 2024 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 6, उक्त अधिनियम की धारा 16 में नई उपधारा (5) का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे विद्यमान उपधारा (4) के लिए एक अपवाद बनाया जा सके तथा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए बीजक या नामे नोट के संबंध में उपबंध करता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 के अधीन किसी भी ऐसी विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो 30 नवम्बर, 2025 तक फाइल की जाती है।

उक्त खंड, उक्त धारा में नई उपधारा(6) के अंतःस्थापन का और प्रस्ताव करता है, जिससे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख पर उक्त धारा इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (4) के अधीन उक्त बीजक या नामे नोट के संबंध में प्रत्यय के उपभोग के लिए समय-सीमा पहले से ही समाप्त नहीं होने चाहिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की वापसी के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की वापसी के आदेश की तारीख तक, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख की अवधि के लिए फाइल की गई विवरणी में बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करना अनुज्ञात किया जा सके। यह भी प्रस्तावित है कि जहां कर संदत्त किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय वापस हुआ है, उसके लिए कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 7, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के संशोधन के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की मांगों के लिए केवल उक्त अधिनियम

की धारा 74 के अधीन संदत्त कर के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की अनुपलब्धता को निर्बंधित किया जा सके। यह उक्त उपधारा में धारा 129 और धारा 130 के निर्देश हटाने का और प्रस्ताव करता है।

विधेयक का खंड 8, उक्त अधिनियम की धारा 21 में पारिणामिक संशोधन के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क के निर्देश सम्मिलित किए जा सकें।

विधेयक का खंड 9, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में नए परंतुक के अंतःस्थापन के लिए है, जिससे राज्य सरकार को नियमों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की वापसी के लिए शर्तों तथा निर्बंधनों को विहित करने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खंड 10, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के खंड (च) के संशोधन के लिए है, जिससे राज्य सरकार को नियमों द्वारा प्रदायों की प्रतिवर्तित प्रभार प्रणाली की दशा में प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक के जारी होने के लिए अवधि विहित करने के लिए सशक्त किया जा सके।

यह उक्त धारा की उपधारा (3) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव करता है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजनों के लिए एकल रूप से रजिस्ट्रीकृत प्रदाता उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

विधेयक का खंड 11, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 12, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के प्रतिस्थापन के लिए है, जिससे उक्त मास में कोई कटौती की गई है या नहीं पर ध्यान दिए बिना, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्रत्येक मास के लिए स्रोत पर कर कटौती हेतु इलैक्ट्रॉनिक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित किया जा सके। यह मणिपुर सरकार को नियम, प्ररूप, रीति तथा समय, जिसके भीतर ऐसी विवरणी फाइल की जाएगी, को विहित करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 13, उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 14, उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 15, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (7) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 16, उक्त अधिनियम की धारा 54 की नई उपधारा (15) का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जा

सके तथा शून्य दर माल के प्रदाय की दशा में, जहां ऐसा माल निर्यात शुल्क के अधीन है, अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 17, उक्त अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 18, उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 19, उक्त अधिनियम की धारा 63 में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 20, उक्त अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 21, उक्त अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (7) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 22, उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (6) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 23, उक्त अधिनियम की धारा 70 में नई उपधारा (1क) का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिकारी द्वारा जारी समन की अनुपालना में उचित अधिकारी के समक्ष समन किए गए व्यक्ति के निमित्त प्रस्तुत होने के लिए किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को समर्थ बनाया जा सके।

विधेयक का खंड 24, उक्त अधिनियम की धारा 73 में नई उपधारा (12) का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि तक से संबंधित कर अवधारण के लिए उक्त धारा की प्रयोज्यता को निर्बंधित किया जा सके। यह तद्नुसार उक्त धारा के पार्श्वशीर्ष के और संशोधन का प्रस्ताव करती है।

विधेयक का खंड 25, उक्त अधिनियम की धारा 74 में नई उपधारा (12) का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि तक से संबंधित कर अवधारण के लिए उक्त धारा की प्रयोज्यता को निर्बंधित किया जा सके। यह तद्नुसार उक्त धारा के पार्श्वशीर्ष के और संशोधन का प्रस्ताव करती है।

विधेयक का खंड 26, उक्त अधिनियम में नई धारा 74क के अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे, संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए या गलत प्रतिदाय या गलत उपभोग या उपयोजित किए गए इनपुट कर प्रत्यय के लिए किसी कारणवश कर अवधारण का उपबंध किया जा सके। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे, कपट, जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छुपाने वाले मामलों के लिए उच्च शास्ति रखने के दौरान, चाहे कपट के आरोप, जानबूझकर मिथ्या कथन या

याचित तथ्यों को छुपाना या नहीं, पर ध्यान न देते हुए, मांग के संबंध में, मांग का नोटिस तथा आदेश जारी करने के लिए उसी परिसीमा अवधि का और उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 27, उक्त अधिनियम में धारा 75 की नई उपधारा (2क) का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे कपट, जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छुपाने के आरोप स्थापित न किए जाने के मामलों में, उक्त धारा की उपधारा (5) के खंड (i) के अनुसार शास्ति के पुनः अवधारण के लिए उक्त अधिनियम की प्रस्तावित धारा 74क का उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन नोटिस में शास्ति उपबंधों की याचना करते हुए मांगी गई शास्ति के पुनःअवधारण के लिए उपबंध किया जा सके। यह उक्त अधिनियम की धारा 75 में और पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क या उसकी सुसंगत उपधाराओं के निर्देश सम्मिलित किए जा सकें।

विधेयक का खंड 28, उक्त अधिनियम में धारा 104 की उपधारा (1) में में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क की उपधारा (2) तथा उपधारा (7) के निर्देश सम्मिलित किए जा सकें।

विधेयक का खंड 29, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम रकम को राज्य कर में 25 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए तक कम किया जा सके। यह उक्त धारा की उपधारा (11) में पारिणामिक संशोधन का भी प्रस्ताव करती है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 30 उक्त अधिनियम में धारा 112 की उपधारा (1) और (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे सरकार को अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने की तारीख अधिसूचित करने तथा अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील फाइल या आवेदन करने के लिए पुनरीक्षित समय-सीमा का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके।

ये संशोधन 1 अगस्त, 2024 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होंगे।

यह उक्त धारा की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे अपीलीय अधिकरण को छह मास की विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर विभाग द्वारा फाइल की गई अपील स्वीकृत करने के लिए समर्थ किया जा सके।

यह उक्त धारा की उपधारा (8) का संशोधन करने के लिए है, जिससे अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम रकम को विवाद में कर के विद्यमान 20 प्रतिशत को 10 प्रतिशत तक कम किया जा सके तथा पूर्व-जमा के रूप में संदेय अधिकतम रकम को भी राज्य कर में पचास करोड़ से बीस करोड़ रूपए तक कम किया जा सके।

ये संशोधन 1 नवम्बर, 2024 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 31 उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहीत करना अपेक्षित है, के लिए

उक्त उपधारा की प्रयोज्यता को निर्बंधित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2023 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 32, उक्त अधिनियम की धारा 127 में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 74क का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 33, उक्त अधिनियम में नई धारा 128क का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे गलत प्रतिदाय के संबंध में मांग नोटिस के सिवाय, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 के अधीन जारी मांग नोटिस के संबंध में ब्याज तथा शास्ति के शर्तीय अधित्यजन का उपबंध किया जा सके। और, यह प्रस्तावित है कि जहां उक्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी मांग के संबंध में ब्याज और शास्ति पहले से ही संदत्त है, उसके लिए कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।

ये संशोधन 1 नवम्बर, 2024 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 34, उक्त अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को वह तारीख अधिसूचित करने के लिए सशक्त किया जा सके, जिससे प्राधिकरण उक्त अधिसूचना के अधीन मुनाफाखोरी रोधी मामलों के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। और, एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है, जिससे उक्त धारा के अधीन "प्राधिकरण" की अभिव्यक्ति में "अपीलीय अधिकरण" का निर्देश सम्मिलित किया जा सके, ताकि सरकार को अपीलीय अधिकरण को मुनाफाखोरी रोधी मामलों के निपटान के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु अधिसूचित करने के लिए समर्थ किया जा सके।

ये संशोधन 30 अक्तूबर, 2024 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 35, उक्त अधिनियम की अनुसूची 3 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सह-बीमा करार में बीमाकृत को मुख्य बीमाकर्ता तथा सह-बीमाकर्ता द्वारा बीमा सेवाओं के लिए संयुक्त रूप से की गई पूर्ति हेतु सह-बीमाकर्ता को मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन के क्रिया-कलाप न तो माल के प्रदाय के रूप में न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में समझे जाएंगे, का उपबंध किया जा सके, परंतु यह कि मुख्य बीमाकर्ता बीमाकृत द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम की रकम पर कर दायित्व का संदाय करता है। यह उपबंध करने के लिए और प्रस्ताव करता है कि बीमाकर्ता द्वारा पुनः बीमाकर्ता को सेवाएं, जिसके लिए अध्यर्पण कमीशन या पुनः बीमा कमीशन पुनः बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम से काटा गया है, न तो माल के प्रदाय न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में समझा जाएगा, परंतु यह कि सकल पुनः बीमा प्रीमियम पर कर दायित्व, जिसमें पुनः बीमा कमीशन या अध्यर्पण कमीशन समावेशित है, पुनः बीमाकर्ता द्वारा संदत्त किया जाएगा।

यह संशोधन 1 नवम्बर, 2024 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 36, यह उपबंध करने के लिए है कि सभी संदत्त कर या प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के लिए कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो कि इस प्रकार संदत्त या प्रतिवर्तित नहीं किया गया होता, यदि सभी तात्विक समय पर प्रस्तावित विधान की

धारा की उपधारा (6) प्रवृत्त रहती।

यह संशोधन 30 अक्तूबर, 2024 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 37, व्यपगत मणिपुर माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 के अधीन की गई कार्यवाही के विधिमान्यकरण के लिए व्यावृत्ति खंड का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई सदैव प्रस्तावित विधान के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन इस प्रकार की कोई या की गई समझी जाएगी, मानो ऐसे उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे।

यह संशोधन 9 जून, 2025 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 38, मणिपुर सेवा और माल कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के निरसन तथा उक्त अध्यादेश के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई की व्यावृत्ति के लिए है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए है । विधेयक को यदि अधिनियमित किया जाता है तो भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 9 मणिपुर सरकार को नियमों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण करने के लिए शर्तों और निबंधनों का उपबंध करने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

2. विधेयक का खंड 10 मणिपुर सरकार को, नियमों द्वारा, प्रतिवर्तित प्रभार क्रिया विधि प्रदायों के मामले में प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने के लिए समयावधि का उपबंध करने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

3. विधेयक का खंड 12 राज्य सरकार को, स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस बात पर ध्यान न देते हुए कि कोई कटौती उक्त मास में की गई है या नहीं, प्रत्येक मास के लिए विवरणी को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने का आदेश देने हेतु सशक्त करने के लिए है । यह खंड मणिपुर सरकार को नियमों द्वारा, प्ररूप, रीति और वह समय, जिसके भीतर ऐसी विवरणी फाइल की जाएगी, का उपबंध करने के लिए और सशक्त करता है ।

4. विधेयक का खंड 33 यह उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित नई धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, नोटिस या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए समाप्त समझी जाएंगी, जो मणिपुर सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा उपबंधित की जाएं ।

5. वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं तथा उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का मणिपुर अधिनियम संख्यांक 3) से उद्धरण

* * * * * *

उद्ग्रहण और संग्रहण ।

9. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानव उपभोग के लिए अल्कोहाली लिकर की आपूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्तियों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर, मणिपुर माल और सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा और यह कर बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर लगाया जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए और ऐसी रीति से संग्रहित किया जाए, जैसा कि विहित किया जाए और इसका भुगतान कराधीन व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

* * * * * *

प्रसमन उद्ग्रहण ।

10. (1) * * * * *

(5) यदि समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधीन व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान किया है, तो ऐसा व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्तए शास्ति का भी दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंधए यथावश्यक परिवर्तनों सहित, कर और शास्ति के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

* * * * * *

सेवाओं की आपूर्ति का समय ।

13. (1) * * * * *

(3) उन आपूर्तियों के मामले में जिनके संबंध में कर का भुगतान किया गया है या रिवर्स चार्ज के आधार पर भुगतान किए जाने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से जो पहले होगी, वह होगी, अर्थात:—

* * * * * *

(ख) आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जारी करने की तारीख से साठ दिनों के तुरंत बाद की तारीख:

परन्तु जहां खंड (क) या खंड (ख) के तहत आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव न हो, वहां आपूर्ति का समय आपूर्ति प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी:

* * * * * *

ऋण एवं अवरुद्ध ऋण का आबंटन।

17. (1) * * * * *

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(i) धारा 74, 129 और 130 के अनुसार भुगतान किया गया कोई भी कर।

* * * * * *

21. जहां इनपुट सेवा वितरक धारा 20 में निहित उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय वितरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को प्रत्यय का अधिक वितरण होता है, तो इस प्रकार वितरित अतिरिक्त प्रत्यय ऐसे प्राप्तकर्ताओं से ब्याज सहित वसूल किया जाएगा, और धारा 73 या धारा 74 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, वसूल की जाने वाली राशि के निर्धारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। अधिक मात्रा में वितरित ऋण की वसूली का तरीका।

* * * * * *

30. (1) * * * * * रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का प्रतिसंहरण।

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण रद्द करने को प्रतिसंहृत कर सकेगा या आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

* * * * * *

अध्याय 7

कर चालान, प्रत्यय और डेबिट नोट

31. (1) * * * * * कर चालान ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी—

* * * * * *

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अपने द्वारा प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तिथि को चालान जारी करेगा ;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे आपूर्तिकर्ता को, जो अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत नहीं है, भुगतान करते समय भुगतान वाउचर जारी करेगा।

* * * * * *

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

35. (1) * * * * * खाते और अन्य अभिलेख ।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा-जोखा देने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी उन माल या सेवाओं या दोनों पर, जिनका लेखा-जोखा नहीं दिया गया है, देय कर की रकम का निर्धारण इस प्रकार करेगा

मानो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध, यथास्थिति, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

* * * * * *

विवरणी प्रस्तुत करना।

39. (1) * * * * *

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस माह के लिए, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे माह की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर विवरणी प्रस्तुत करेगा।

* * * * * *

अध्याय 10

कर का भुगतान

कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य राशियों का भुगतान।

49. (1) * * * * *

(8) प्रत्येक कराधीन व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य बकाया का भुगतान निम्नलिखित क्रम में करेगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन देय कोई अन्य राशि, जिसमें धारा 73 या धारा 74 के अधीन निर्धारित मांग भी शामिल है:

परन्तु किसी कर अवधि के दौरान की गई आपूर्तियों के संबंध में देय कर पर ब्याज, और धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के बाद प्रस्तुत उक्त अवधि के लिए रिटर्न में घोषित, सिवाय इसके कि जहां ऐसी रिटर्न उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 और धारा 74 के तहत किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत की जाती है, कर के उस हिस्से पर लगाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही को डेबिट करके भुगतान किया जाता है।

कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज।

50. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहता है, तो उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसका कोई भाग भुगतान न किया गया हो, स्वयं अठारह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:

* * * * * *

स्रोत पर कर कटौती ।

51. (1) * * * * *

(7) धारा के अधीन चूक की राशि का निर्धारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

* * * * * *

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. (1) * * * * * कर का प्रतिदाय ।

(3). उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय की वापसी का दावा कर सकता है:

परन्तु अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय की वापसी निम्नलिखित मामलों में नहीं दी जाएगी:—

(i) कर के भुगतान के बिना की गई शून्य दर वाली आपूर्तियाँ;

(ii) जहाँ प्रत्यय इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्तियों (शून्य दर वाली या पूरी तरह से छूट प्राप्त आपूर्तियों को छोड़कर) पर कर की दर से अधिक होने के कारण संचित हुआ है, सिवाय उन वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्तियों के जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है:

परन्तु अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय की वापसी उन मामलों में नहीं दी जाएगी जहाँ भारत से बाहर निर्यात की गई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लागू होता है:

* * * * * *

61. (1) * * * * * रिटर्न की जांच।

(3) यदि समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर या उसके द्वारा अनुज्ञात अतिरिक्त अवधि के भीतर कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस माह के लिए अपने रिटर्न में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहता है जिसमें विसंगति स्वीकार की गई है, तो समुचित अधिकारी धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अंतर्गत उचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा या धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत कर और अन्य देयताओं का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

रिटर्न दाखिल न करने वालों का मूल्यांकन।

62. (1) धारा 73 या धारा 74 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 46 के अधीन नोटिस की तामील के पश्चात भी धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकेगा, जिसमें सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखा जाएगा जो उपलब्ध है या जिसे उसने एकत्र किया है और उस वितीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन निर्दिष्ट तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण आदेश जारी कर सकेगा जिससे भुगतान न किया गया कर संबंधित है।

* * * * * *

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का मूल्यांकन ।

63. धारा 73 या धारा 74 में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, जहां कोई कराधीन व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है, भले ही वह ऐसा करने के लिए उत्तरदायी हो या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के तहत रद्द कर दिया गया हो, लेकिन जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उचित अधिकारी ऐसे कराधीन व्यक्ति की कर देयता का आकलन प्रासंगिक कर अवधि के लिए अपने

सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर सकता है और धारा 44 के तहत निर्दिष्ट तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए एक आकलन आदेश जारी कर सकता है, जिससे कर का भुगतान नहीं किया गया है:

परन्तु ऐसा कोई आकलन आदेश व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

कुछ विशेष मामलों में सारांश मूल्यांकन।

64. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, यदि अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त का विचार है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह ऐसे आदेश को वापस ले सकेगा और धारा 73 या धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा।

65. (1) * * * * *

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए संपरीक्षा के परिणामस्वरूप भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत तरीके से वापस किए गए कर या गलत तरीके से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय या उपयोग का पता चलता है, वहां उचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है।

* * * * * *

विशेष लेखापरीक्षा।

66. (1) * * * * *

(6) जहां उपधारा (1) के तहत किए गए विशेष संपरीक्षा के परिणामस्वरूप भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत तरीके से वापस किए गए कर या गलत तरीके से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय या उपयोग का पता चलता है, वहां उचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है।

* * * * * *

अध्याय 15

मांगें और वसूली

धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के अलावा किसी अन्य कारण से भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत तरीके से वापस किए गए कर या गलत तरीके से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण।

73. (1) * * * * *

* * * * * *

74. (1) * * * * *

भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत तरीके से वापस किए गए कर या धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के कारण गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "दमन" का अर्थ तथ्यों या सूचना की गैर-घोषणा होगी जिसे एक कर योग्य व्यक्ति को इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रस्तुत रिटर्न, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की आवश्यकता होती है, या उचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में मांगे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता।

* * * * * *

कर निर्धारण से संबंधित सामान्य प्रावधान।

75. (1) जहां किसी न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा नोटिस की तामील या आदेश जारी करने पर रोक लगा दी जाती है, वहां ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

* * * * * *

(10) यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) में दिए गए प्रावधान के अनुसार तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में दिए गए प्रावधान के अनुसार पांच वर्ष के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो न्यायनिर्णयन कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

(11) कोई ऐसा मुद्दा जिस पर अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय ने अपना ऐसा निर्णय दिया है जो किसी अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील लंबित है, तो अपीलीय प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय की तिथि या अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच व्यतीत अवधि को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में शामिल नहीं किया जाएगा, जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करके कार्यवाही शुरू की जाती है।

(12) धारा 73 या धारा 74 में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 39 के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्व-निर्धारित कर की कोई राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से अप्रदत्त रहती है, या ऐसे कर पर देय ब्याज की कोई राशि अप्रदत्त रहती है, उसे धारा 79 के उपबंधों के अंतर्गत वसूल किया जाएगा।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है,

वहां उसी कार्य या चूक के लिए उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

*   *   *   *   *   *

कुछ परिस्थितियों में अग्रिम निर्णय शून्य हो जाएगा।

104. (1) जहां प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपटपूर्वक या तात्विक तथ्यों को छिपाकर या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया है, वहां वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर सकेगा और तब इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंध आवेदक पर इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही न गया हो:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

स्पष्टीकरण—धारा 73 की उपधारा (2) और (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

*   *   *   *   *   *

अध्याय 18

अपील और संशोधन

अपील प्राधिकारी को अपीलें ।

107. (1)   *   *   *   *   *

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक दायर नहीं की जाएगी, जब तक अपीलकर्ता ने—

*   *   *   *   *   *

(ख) उक्त आदेश से उत्पन्न विवाद में कर की शेष राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपए के अधीन, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है।

*   *   *   *   *   *

(11) अपीलीय प्राधिकारी, आगे ऐसी आवश्यक जांच करने के पश्चात्, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, ऐसा आदेश पारित करेगा, जिसमें अपील किए गए निर्णय या आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण किया जाएगा, किन्तु मामले को उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास वापस नहीं भेजा जाएगा जिसने उक्त निर्णय या आदेश पारित किया था:

परंतु यह कि जब्ती के बदले में कोई शुल्क या दंड या जुर्माना बढ़ाने या अधिक मूल्य के माल को जब्त करने या वापसी या इनपुट कर प्रत्यय की राशि को कम करने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु यह भी कि जहां अपीलीय प्राधिकारी की राय है कि कोई कर नहीं चुकाया गया है या कम चुकाया गया है या गलत तरीके से वापस किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उसका उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता को ऐसे कर या इनपुट कर प्रत्यय का भुगतान करने की आवश्यकता वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने के लिए नोटिस न दिया जाए और आदेश धारा 73 या धारा 74 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पारित न कर दिया जाए।

* * * * * *

अपीलीय अधिकरण को अपीलें ।

112. (1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन उसके विरुद्ध पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में उस तारीख से तीन महीने के भीतर अपील कर सकेगा, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है।

* * * * * *

(3) आयुक्त, स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा, ताकि उक्त आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया जा सके और आदेश द्वारा, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिंदुओं के अवधारण के लिए, जिन्हें आयुक्त अपने आदेश में निर्दिष्ट करे, उक्त आदेश पारित होने की तारीख से छह महीने के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन करने का निर्देश दे सकेगा।

* * * * * *

(6) अपील अधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर अपील ग्रहण कर सकेगा, या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् पैंतालीस दिन के भीतर प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

* * * * * *

(8) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलकर्ता ने—

* * * * * *

(ख) उक्त आदेश से उत्पन्न धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त राशि के अतिरिक्त, विवाद में कर की शेष राशि के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है।

* * * * * *

अध्याय 19

अपराध और शास्तियां

कतिपय अपराधों के लिए शास्ति ।

122. (1) * * * * *

(1ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो—

(i) इस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपने माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की अनुमति देता है;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्यीय आपूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अंतर-राज्यीय आपूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपने माध्यम से की गई माल की किसी भी बाहरी आपूर्ति के बारे में धारा 52 की उपधारा (4) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

वह दस हजार रुपये का जुर्माना या धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति में शामिल कर की राशि के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

* * * * * *

कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति।

127. जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि कोई व्यक्ति शास्ति का दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाही के अंतर्गत नहीं आता हैए वहां वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसा शास्ति अधिरोपित करने का आदेश जारी कर सकता है।

* * * * * *

मुनाफाखोरी विरोधी उपाय ।

171. (1) किसी भी माल या सेवा की आपूर्ति पर कर की दर में कोई कमी या इनपुट कर प्रत्यय का लाभ कीमतों में आनुपातिक कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ता को दिया जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकारए परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है, या किसी भी समय लागू कानून के तहत गठित किसी मौजूदा प्राधिकरण को यह जांचने के लिए सशक्त कर सकती है कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय या कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप वास्तव में उसके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी आई है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3क) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण, उक्त उपधारा के तहत अपेक्षित

परीक्षा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के तहत मुनाफाखोरी की है, ऐसा व्यक्ति दस प्रतिशत के बराबर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई राशि का:

परन्तु यदि मुनाफाखोरी की गई राशि प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जमा कर दी जाती है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मुनाफाखोरी" शब्द का अर्थ वह राशि होगी जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर की दर में कमी का लाभ या माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का लाभ न देने के कारण निर्धारित की गई हो।

* * * * * *